CAG ने मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना में खामियाँ उजागर कीं

चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मध्य प्रदेश में **प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)** के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को चिह्नित किया है।

मुख्य बिंदु:

- सार्वजनिक आवास कार्यक्रम को **केंद्र द्वारा वर्ष 2016** में गरीबी उन्मूलन के एक साधन के रूप में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य**वर्ष 2022 तक** ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ **पक्के घर उपलब्ध कराना था।**
    - **अंतरिम बजट 2024** में वित्त मंत्रालय ने PMAY-G के तहत **अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण** की घोषणा की।
- CAG की रिपोर्ट में वर्ष 2016-21 से इस योजना के कार्यान्वयन की बात की गई है, जब 26,28,525 घरों को मंज़ूरी दी गई थी और 24,723 करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिये गए थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि:
    - स्वीकृत आवासों में से 82.35% पूर्ण हो चुके हैं।
    - हालाँकि इस योजना में **यह अनिवार्य है कि वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव वाले परिवारों को बाहर रखा जाए**, 10 लेखापरीक्षित ज़िलों में घर की मंज़ूरी से पहले 2,037 लाभार्थियों के पास दो/तीन/चार पहिया वाहन थे।
    - **2,037 अयोग्य लाभार्थियों** में से 1,555 को 15.66 करोड़ रुपए की PMAY-G सहायता।
    - **64 मामलों** में एक ही लाभार्थी को **दो बार आवास स्वीकृत** किये गए। 98 मामलों में, एक घर वास्तविक लाभार्थी को और दूसरा उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकृत किया गया था, जिनकी योजना के लिये पहचान नहीं की गई थी।
    - लाभार्थियों के **डुप्लिकेट की पहचान करने के लिये पोर्टल में अलर्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है।**
    - कुल 18,935 स्वीकृत मामलों में से **8,226 लाभार्थियों ने प्राथमिकता सूची में अधिक वंचित लाभार्थियों** को हटा दिया।
    - रिपोर्ट में लाभार्थियों को **किश्तें देने में देरी भी देखी गई**, जिसके कारण घर बनाने में देरी हुई।
    - **90 मामलों में नाबालिगों को PMAY-G आवास स्वीकृत किया गया** और उनके रिश्तेदारों को लाभ प्रदान किया गया।
    - **आवास सॉफ्ट** डेटा की जाँच की गई क्योंकि 1,246 मामलों में **लाभार्थियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था** और 950 मामलों में लाभ जारी किया गया था।
        - आवास सॉफ्ट, एक वेब-आधारित लेन-देन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच है, जिसका उपयोग योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में किया जाता है।
    - **योजना की रूपरेखा** यह निर्धारित करती है कि "विधवा/अविवाहित/अलग हुए व्यक्ति के मामले को छोड़कर घर का आवंटन पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा" का भी **उल्लंघन किया गया था।**

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

- इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा **वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास'** के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती **'इंदिरा आवास योजना' (IAY)** को 01 अप्रैल, 2016 को **'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया था।**
- इसमें शामिल मंत्रालय **ग्रामीण विकास मंत्रालय** है।
- जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में **गरीबी रेखा (BPL) से नीचे** वाले लोगों की पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा महिलाएँ, रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति एवं अल्पसंख्यक शामिल हैं।
- यूनिट सहायता की लागत को **केंद्र और राज्य सरकारों** के बीच मैदानी क्षेत्रों में **60:40 के अनुपात में तथा उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- **अनुच्छेद 148** CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है।

- **CAG से संबंधित अन्य प्रावधानों में अनुच्छेद 149-151** (कर्त्तव्य और शक्तियाँ, संघ व राज्यों के खातों का स्वरूप तथा अंकेक्षण रिपोर्ट), **अनुच्छेद 279** (निवल आय का परिकलन इत्यादि) तथा **तीसरी अनुसूची** (शपथ अथवा प्रतिज्ञान) एवं **छठी अनुसूची** (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन) शामिल हैं।

- जनता के धन का संरक्षक और **केंद्र एवं राज्य दोनों** स्तरों पर देश की संपूर्ण **वित्तीय प्रणाली** को नियंत्रित करता है।
- **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा **6 वर्ष** की अवधि या **65 वर्ष की आयु** तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया जाता है।
- CAG को राष्ट्रपति द्वारा संसद के **दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से** पारित प्रस्ताव के आधार पर, या तो साबित **कदाचार या अक्षमता के आधार** पर हटाया जा सकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cag-flags-faults-in-madhya-pradesh-pm-awas-yojana